न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 45/2022(GCMS 2024/178)
(आरटीआई संख्या 212362076090695)

श्री राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल, निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर

बनाम

1. उपमहानिदेशक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, हनुमानगढ़
2. उप पंजीयक, श्रीगंगानगर
3. **कोषाधिकारी , श्रीगंगनगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.10.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर अंकित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.03.2022 से बीस बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.03.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न बीस बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. कार्यालय जिला [illegible] के पत्रांक 112 दिनांक 21.01.2019, सम्बोधित उप [illegible]यक, श्रीगंगानगर में अंकित तथ्यों में [illegible] उप पंजीयक, श्रीगंगान[illegible] अपने पत्रांक 1052 दिनांक 24.1[illegible] में अंकित किया [illegible] उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्टर जमा कराये जाते थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:42:58 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिस वर्ष तक उप पंजीयक, श्रीगंगानगर कार्यालय में रजिस्टर जमा कराये जाते थे उस अवधि की सूचना व प्रमाणित प्रति।

2. उपरोक्त पत्रांक 112 दिनांक 21.01.2019 की पालना में उप पंजीयक, श्रीगंगानगर द्वारा पालना न करने पर उसके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही न करने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
4. उप पंजीयक, श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक 94 दिनांक 28.01.2019 को अंकित तथ्य कि महेन्द्र छाबड़ा का विक्रय रजिस्टर उनके कार्यालय में जमा नहीं है। अतः विरोधाभासी बयान देने के आधार पर उपरोक्त पत्रांक में अंकित पत्रों के आधार विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाकी करने की सूचना व प्रमाणित प्रति।
5. विभागीय कार्यवाही न करने के नियम की सूचना व नियम के नियम
6. उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, हनुमानगढ के पत्रांक 378 दिनांक 14.02.2019 में अंकित तथ्यों की कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर का कथन कि श्री महेन्द्र छाबडा स्टाम्प वेण्डर का रजिस्टर वर्ष 2000 का कोष कार्यालय में जमा नहीं है जबकि महेन्द्र छाबड़ा का कथ कि उसने अपना रजिस्टर वर्ष 2000 का कोष [illegible] है।

उपरोक्त तथ्यों की रोशनी में विरोधाभासी कथनों के दोषी पर दाण्डिक व विभागीय (महेन्द्र छाबडा के अलावा) अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:42:58 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

7. श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 19.03.2019 की पलाना में दिनांक 14.03.2022 तक महेन्द्र छाबड़ा के विरूद्ध एफआईआर दर्ज न करने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
8. कार्यालय जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के पत्रांक 651 दिनांक 05.04.2019 की पालना में जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा महेन्द्र छाबड़ा के विरूद्ध एफआईआर दर्ज न करवाने की अवज्ञा करने पर उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाने की सूचना व विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
9. कोषाधिकारी का पत्रांक 60 दिनांक 08.05.2019 सम्बोधित प्रभारी अधिकारी पंजीयन श्रीगंगानगर के अनुसार स्टाम्प वेण्डर के पुराने रजिस्टर (स्टाम्प एवं विक्रय रजिस्टर) उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, हनुमानगढ़ के द्वारा जमा कराये जाने का प्रावधान है इस सम्बन्ध में परिपत्र/आदेश व नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।
10. स्टाम्प विक्रेता के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए एफआईआर दर्ज करवाने हेतु उपमहानिरीक्षक ही अधिकृत है, इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रति।
11. प्रार्थी का पत्रांक दिनांक 10.05.2019 सम्बोधित जिला कलक्टर एवं ..... आपके कार्यालय में पहुंचने की आर/आर व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
12. प्रार्थी का पत्रांक दिनांक 16.05.2019 सम्बोधित जिला पंजीयन अधिकारी, श्रीगंगानगर बाबत स्टाम्प वेण्डर श्री महेन्द्र छाबड़ा के [illegible] पत्र का आर/आर व दिनांक की सूचना व कार्यवाकी की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:42:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

13. अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के पत्रांक 4235 दिनांक 14.05.2019 की पालना में उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति व पत्रांक 4235 दिनांक 14.05.2019 की प्रमाणित प्रति।

14. जिला कलक्टर एवं पंजीयन अधिकारी, श्रीगांगनगर द्वारा अपने पत्रांक 1854–1856 दिनांक 08.11.2019 से कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर, उप पंजीयक, श्रीगंगानगर व उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक हनुमानगढ़ को लिखे पत्र की पालना में महेन्द्र छाबड़ा स्टाम्प वेण्डर के विरूद्ध कार्यवाही न किये जाने के आधार पर विभागीय अनुशासनात्मक या दाण्डिक कार्यवाही किये जाने बाबत सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

15. इस पत्र पर कार्यवाही करने वाले विभागीय अधिकारी व कर्मचारी का नाम की सूचना व प्रमाणित प्रति।

16. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को सम्बोधित माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के पत्रांक 6871 दिनांक 23.08.2018, कार्यालय में पहुंचने की दिनांक व आरआर नम्बर/सूचना व दिनांक की सूचना प्रमाणित प्रति।

17. .....

18. राजस्व मण्डल, अजमेर के पत्रांक 708–81 दिनांक 11.11.2020, 4584 दिनांक 27.11.2019, 3220 दिनांक 24.11.2020 सम्बोधित जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर पर आपके विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:42:58 IST
Reason: SelfAttested

19. उपरोक्त पत्रों के जवाब में राजस्व मण्डल को दिये गये जवाब की सूचना व जवाब की प्रमाणित प्रति।

20. उपरोक्त पत्रों का जवाब न दिये जाने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक गंगा/कोष/डबल लॉक/2022–23/42 दिनांक 25.07.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के विषय में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील पत्र के बिन्दु संख्या 9, 10 जो कि इस कार्यालय से सम्बन्धित की सूचना से संबधित कार्यालय पत्रों कि छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है।
>
> **संलग्न** : उपरोक्तानुसार।
>
> -sd-
> जिला कोषाधिकारी
> श्रीगंगानगर

जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 42 दिनांक 25.07.2022 से अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, जो सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। किन्तु जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह मालूम होता हो कि उनके द्वारा अपीलार्थी को उसके प्रार्थना पत्र पर जवाब दिया गया है अथवा नहीं? इसलिए जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि उनके द्वारा अपीलार्थी उक्त बिन्दु संख्या 09 व 10 की सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई हो तो वे अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:42:58 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल अपनी अप[illegible]धिकारी, श्रीगंगानगर के अतिरिक्त, उपमहानिरीक्षक, **पंजीयन** [illegible], हनुमानगढ़ **और उप पंजीयक**, श्रीगंगानगर **के विरूद्ध भी पेश की है। सूच**[illegible] **अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत उप पंजीयक द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के**

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर के पत्रांक एफ2(30)सू.अ./नियुक्ति/मुख्यालय/2337 दिनांक 25.11.2016 के तहत प्रथम अपील अधिकारी के रूप में संबंधित उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान अधिकृत है एवं समस्त उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर, राजस्थान अधिकृत है। इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को उनके विरूद्ध प्रथम अपील की सुनवाई का **क्षेत्राधिकार न होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील (बिंदु संख्या 09 व 10 को छोड़कर) खारिज की जाती है** और अपीलार्थी यदि उप पंजीयक, श्रीगंगानगर/उपमहानिरक्षक, पंजीयन एवं मुद्राक विभाग, हनुमानगढ़ द्वारा दी गई सूचनाओं से असंतुष्ट हो तो अपीलार्थी सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति **जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:42:58 IST
Reason: SelfAttested